भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 864

27 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0

864 **श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 19,55,310 घरों को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो ये घर कब स्वीकृत किए गए थे, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 19.55 लाख घरों में से अब तक केवल 11.24 लाख घरों का निर्माण कार्य ही पूरा हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सभी 11.24 लाख घर लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) शेष सभी घरों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और इन्हें लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश-भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना में बदलाव किया है तथा दिनांक 01.09.2024 से शहरी क्षेत्रों में देश-भर में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को किफायती लागत पर आवास का निर्माण करने, खरीदने और किराये पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 'सबके लिए आवास' मिशन प्रारंभ किया है।

पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 मांग-आधारित योजनाएं हैं तथा योजना के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न घटकों के अंतर्गत उपयुक्त माध्यमों से लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण एवं कार्यान्वयन तथा पूर्ण हो चुके आवासों का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय ने अब तक कुल 127.68 लाख आवास, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 16.20 लाख आवास शामिल हैं, स्वीकृत किए हैं। इनमें से 121.03 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है तथा 13.07.2026 की स्थिति के अनुसार 99.07 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत कुल 19.68 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से केवल 11.38 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 10.75 लाख आवासों पर चिह्नित लाभार्थी रह रहे हैं। राज्य में कार्यान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, जिसके प्रमुख कारणों में राज्यांश जारी किए जाने में विलंब, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में देरी तथा लाभार्थियों द्वारा धन की व्यवस्था करने में विलंब आदि शामिल हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

आवासों/परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा राज्य-वार भिन्न-भिन्न होती है तथा योजना के विभिन्न घटकों एवं संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार सामान्यतः 12 से 36 माह का समय लगता है। आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय-सीमा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक सांविधिक अनुपालनों तथा लाभार्थियों द्वारा धनराशि की व्यवस्था जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी तथा स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर उन्हें लाभार्थियों को सौंपना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

******

दिनांक 27-07-2026 को राज्य सभा में पूछे जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 864 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों का वर्ष-वार विवरण

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत आवास (संख्या)
1	2015-16	1,37,533
2	2016-17	239
3	2017-18	2,39,062
4	2018-19	1,14,253
5	2019-20	4,15,542
6	2020-21	4,04,257
7	2021-22	3,53,188
8	2022-23	1,92,669
9	2023-24	50,144
10	2024-25	31,252
11	2025-26	17,254
12	2026-27	12,578
कुल		**19,67,971**